GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
*****

**LOK SABHA**
**UNSTARRED QUESTION NO. 1152**

ANSWERED ON MONDAY, 28 JULY, 2025/ SRAVANA 6, 1947 (SAKA)

## TIME LIMIT FOR CHOOSING UPS SCHEME

**1152. Shri Anto Antony**

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Government has introduced the Unified Pension Scheme (UPS) for its employees and if so, the details thereof;
(b) whether the Government has given options to join UPS or NPS;
(c) if so, the details thereof along with the time limit provided to the employees to opt the UPS scheme;
(d) the number of employees opted UPS as on date; and
(e) whether the Government has any plan to extend the time limit for choosing the scheme and if so, the details thereof?

## ANSWER

MINISTER OF STATE FOR FINANCE

(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (e) Unified Pension Scheme (UPS) has been introduced as an option under National Pension System (NPS) for the employees of Central Government who are covered under the NPS, with the objective of providing assured payouts to the employees. Based on the representations from employees and associations, the cut-off date to opt for UPS has been extended for a period of three months up to 30$^{th}$ September, 2025. Further, as on 20.07.2025, 31555 employees have opted UPS.

**********

:_: www.staffnews.in :_:

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1152**

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

## यूपीएस योजना चुनने हेतु समय-सीमा

1152. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों को यूपीएस योजना का चयन करने के लिए क्या समय-सीमा दी गई है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार, कितने कर्मचारियों ने यूपीएस का चयन किया है; और

(ड.) क्या सरकार की उक्त योजनाओं में से एक का चयन करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

**(क) से (ड.):** कर्मचारियों को सुनिश्चित पेआउट प्रदान करने के उद्देश्य से एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अधीन एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू की गई है। कर्मचारियों और संघों के अभ्यावेदन के आधार पर यूपीएस चयन करने की अंतिम तिथि को तीन महीने की अवधि के लिए 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 20.7.2025 की स्थिति के अनुसार, 31555 कर्मचारियों ने यूपीएस का चयन किया है।

*****

:_: www.staffnews.in :_: